न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11/2021
प्रविष्टि दिनांक 18.01.2021

1—मन्नी पुत्री सुखा जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2—सुनिता पुत्री गुमान जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3—जमना देवी पत्नि गुमान जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार निवाई जिला टोंक
2—गिरदावर राहोली तहसील निवाई जिला टोंक
3—पटवारी हल्का राहोली तहसील निवाई जिला टोंक
4—ए.डी.एम. बिसलपुर (पुर्नवास)देवली तहसील देवली जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 2154 दिनांक 22.02.2019 व नामान्तरकरण संख्या 2234 दिनांक 22.02.2019 वाके ग्राम राहोली तहसीलदार निवाई

उपस्थिति —(1) श्री शिवराज टाण्डी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 02.07.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 22.02.2019 को बीसलपुर परियोजना विस्थापित हेतु आरक्षित भूमि मे से आवंटित होकर गुमान पुत्र सुखा जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली को खसरा नम्बर 1409/34/1 रकबा 1.62 है. व मन्नी पुत्री सुखा जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली को खसरा नम्बर 1409/34/2 रकबा 0.65 है. वाके ग्राम राहोली का नामान्तरकरण संख्या 2154 दिनांक 22.02.2019 से गैर खातेदारी का एंव नामान्तरकरण संख्या 2234 दिनांक 22.02.2019 से गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण निरस्त किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई तथा प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस बिसलपुर विस्थापित है,जिनकी भूमि बिसलपुर बांध के डूब क्षेत्र में आ गई थी,जिसकी एवज में कार्यालय अति० कलेक्टर (पुनर्वास) व भूमि अवाप्ति अधिकारी बिसलपुर परियोजना देवली द्वारा अपीलांटस संख्या 1 व अपीलांटस संख्या 2 व 3 के पिता व पति गुमान पुत्र सुखा मीणा को अपने आदेश कमांक 2056 दिनांक 15.09. 2006 से ग्राम राहोली के खसरा नम्बर 1409/2 में कमशः 1.62 हैक्टेयर व 0.65 हैक्टेयर भूमि आवंटित की थी,आवंटित भूमि की कीमत जमा होने पर तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 17.02.2007 से गैर खातेदारी का नामांतकरण स्वीकार किया गया है और दिनांक 04.08.2007 को उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामांतकरण तहसीलदार निवाई द्वारा स्वीकार किया गया है।भारतीय विधि शास्त्र में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का बहुत महत्व है तथा उक्त सिद्धांत के दो सिद्धांत है, प्रथम दूसरे पक्ष को सुनो तथा जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही की जाती है, जिससे उक्त व्यक्ति के हित या अधिकार प्रभावित होते है, तो ऐसी कार्यवाही में प्रभावित व्यक्ति को सुना जाना व उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आज्ञापक है तथा द्वितीय सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वंय के मामले में न्यायाधीश नही हो सकता, हस्तगत मामले में रेस्पोडेंटस ने उक्त दोनो ही स्थापित सिद्धांतो का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया है,जब दोनो नामांतकरण रेस्पोडेंटस द्वारा ही भर कर स्वीकार कर लिये गये थे, तो पुनः उनको उनके सम्बंध में कोई कार्यवाही करने का अधिकार नही था, जो भी कार्यवाही की जानी थी वह अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ही सम्भव थी, परन्तु उन्होने ऐसा नही किया। नामांतकरण संख्या 2154 जब रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा दिनांक 01.02.2007 को भरा गया, तो उसकी रिपोर्ट में यह अंकित है कि मूल आवंटी को मौके पर कब्जा दिया जाकर नामांतकरण भर कर पेश है, जो यह दर्शाता है कि मौके पर अपीलांटस का काबिज है तथा बाद में दिनांक 12.07. 2019 को पुनः मनगढंत तथ्यो के आधार पर कब्जा नही होने का तथ्य अंकित कर नामांतकरण खारिज कर दिया गया है। किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित नही किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में मूल अलाटी गुमान की दिनांक 12. 09.2015 को ही मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त आदेश JUDGEMENT AGAINST DEATH PERSON की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 2154 व 2234 वाके ग्राम राहोली में पारित आदेश दिनांक 22.02.2019 को निरस्त कर अपीलांटस को आवंटित भूमि की खातेदारी दिलवाई जावे तथा विकल्प में यह भी निवेदन है कि अपीलांटस को टोंक जिले में अन्य कोई जगह आवंटन हेतु रेस्पोडेंटस को आदेशित किया जाना न्याय संगत है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 22.02.2019 को बीसलपुर परियोजना विस्थापित हेतु आरक्षित भूमि मे से आवंटित होकर गुमान पुत्र सुखा जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली को खसरा नम्बर 1409/34/1 रकबा 1.62 है. व मन्नी पुत्री सुखा जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली को खसरा नम्बर 1409/34/2 रकबा 0.65 है. वाके ग्राम राहोली का नामान्तरकरण संख्या 2154 दिनांक 22.02.2019 से गैर खातेदारी का एंव नामान्तरकरण संख्या 2234 दिनांक 22.02.2019 से गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण निरस्त किया गया है। दोनो नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का राहोली द्वारा आवंटियो का वर्तमान मे मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है एंव आवंटियो द्वारा शपथ पत्र पेश कर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है का नोट अंकित किया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

जिला कलेक्टर
टोंक

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। दिनांक 22.02.2019 को बीसलपुर परियोजना विस्थापित हेतु आरक्षित भूमि मे से आवंटित होकर गुमान पुत्र सुखा जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली को खसरा नम्बर 1409/34/1 रकबा 1.62 है. व मन्नी पुत्री सुखा जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली को खसरा नम्बर 1409/34/2 रकबा 0.65 है. वाके ग्राम राहोली का नामान्तरकरण संख्या 2154 दिनांक 22.02.2019 से गैर खातेदारी का एंव नामान्तरकरण संख्या 2234 दिनांक 22.02.2019 से गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण निरस्त किया गया है।

तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 17.02.2007 से गैर खातेदारी का व दिनांक 04.08.2007 से गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार निवाई द्वारा नामान्तकरण संख्या 2154 व 2234 वाके ग्राम राहोली को दिनांक 22.02.2019 को अस्वीकार किया गया है,जो न्यायोचित नही है। तहसीलदार निवाई को नियमानुसार दोनो नामान्तकरण के संबंध मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेंफरेंस बनाकर न्यायालय हाजा मे तत्समय ही प्रस्तुत करना चाहिए था। किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित नही किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में मूल आंवटी गुमान की दिनांक 12.09.2015 को ही मृत्यु हो गई थी और तहसीलदार निवाई ने दिनांक 22.02.2019 को आदेश पारित किया है जो JUDGEMENT AGAINST DEATH PERSON की श्रेणी में आता है। पटवारी हल्का राहोली ने नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 मे दिनांक 01.02.2007 को मूल आवंटी को मौके पर कब्जा दिया जाकर नामान्तकरण भर कर प्रस्तुत है का नोट अंकित किया है और दिनांक 12.02.2019 को आवंटियो का वर्तमान मे मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है का नोट नामान्तरकरण पर अंकित किया है। पटवारी हल्का कि दोनो रिपोर्ट विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 2154 व 2234 दिनांक 22.02.2019 वाके ग्राम राहोली तहसील निवाई खसरा नम्बर 1409/34/1 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 1409/34/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम निवाई की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार निवाई को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात तथा कब्जे काश्त के सम्बंध मे जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक